

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018—चैत्र 21, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

पूर्ण क्रमांक एफ-3-5-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपथारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, श्री जयंत चव्हाण को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-4-2015 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, भोपाल संभाग, भोपाल में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था. जिसकी अवधि दिनांक 15-4-2018 को समाप्त होने के कारण राज्य शासन, एतद्वारा, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, श्री जयंत चव्हाण, अध्यक्ष को संभागीय सतर्कता समिति, भोपाल संभाग, भोपाल में दिनांक 16-4-2018 से दिनांक 25-2-2020 तक के लिये पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.